

राजस्थान सरकार
गृह (गृप-9) विभाग

जयपुर, दिनांक: 23.03.2020

क्रमांक-प 33(2)गृह-9/2019

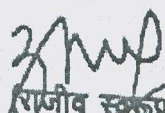
आदेश

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2020 की निरन्तरता में समस्त राज्य में दिनांक 24.03.2020 को प्रातः 8.00 बजे से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर भी दिनांक 31.03.2020 तक रोक लगायी जाती है।

कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको आदेश दिनांक 22.03.2020 के अन्तर्गत लॉकडाउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को दिनांक 28.03.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 28.03.2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रुख अपनाते हुए इन वाहनों को 28.03.2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टाफ, राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने विभाग/संस्थान द्वारा जारी किए गए अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निजी वाहन से अपने निवास से कार्यालय स्थल जाने एवं आने के लिए अनुमत रहेंगे। इनको अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

यदि किसी व्यक्ति / परिवार को आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो वह इस संबंध में सीमित समय हेतु अनुमति ले सकता है, जिसको जारी करने के लिए जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त अधिकृत होंगे।


(राजीव कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/ राज्यमंत्रीगण।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।

9. समस्त संभागीय आयुक्त / महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
10. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त।
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करावें।



(पी.सी. देसाई)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह